मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार,एच.जे.एस.	पंजीकरण दिनांक:	निर्णय दिनांक:	अवधि:
एम.ए.सी.पी. संख्या- ६२/२०१६,	02/02/16	09/12/20	4 वर्ष, 10 माह, 7 दिन

श्रीदेवी उम्र करीब २० साल पत्नी हनुमत निवासी ग्राम नैपुरा थाना महोबकण्ठ तह.कुलपहाड़ जिला महोबा

--------याची

प्रति

१. श्रीमती राम कुमारी पत्नी खूबचंद हाल निवासी बैंदो तह. कुलपहाड़ जिला महोबा

.........पंजीकृत स्वामी मारुति नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८

२. खूबचन्द्र तनय कन्हैयालाल उर्फ कन्धीलाल हाल निवासी ग्राम बैंदो तह. कुलपहाड़ जिला महोबा

.........चालक मारुति नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८

३. जरिये शाखा प्रबन्धक इफको टोक्यो बीमा कम्पनी स्थित प्रथम तल चौरसिया काम्पलेक्स सफारी होटल के पास, सतना म.प्र.

.........बीमाकर्ता मारुति नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८

-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- सुरेन्द्र प्रकाश पाण्डेय
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री एन.एल. पांचाल
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत याचिका याचिया श्रीदेवी द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा- १४० व १६६ के अन्तर्गत कथित मोटर दुर्घटना में स्वयं को आई चोटों के कारण ₹ १५,९५,०००/- क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि याचिया एवं अन्य लोग मारुति वैन नं. ९५ सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुये झाँसी जा रहे थे। उक्त वैन को विपक्षी सं. २ खूबचन्द्र काफी तेजी व लापरवाही से चला रहा था। तभी सामने से आल्टो कार आई। उस समय उक्त वाहन भंडरा व खिलारा जो झाँसी खजुराहो मुख्य मार्ग पर स्थित है, के मध्य था। चालक ने बचाना चाहा लेकिन चालक विपक्षी सं. २ वाहन को तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं था जिससे मारुति वैन लहराकर पेड़ से जा टकरायी। वाहन के पेड़ से टकराने के कारण याची व उसमें बैठी हुई सवारियों को गम्भीर चोटें आईं तथा याची का नवजात शिशु भी उक्त दुर्घटना के कारण मृतक हो गया। दुर्घटना के समय विपक्षी सं. १ वाहन सं. यू.पी. ९५ सी ४७२८ का पंजीकृत स्वामी था एवं वाहन स्वामी का पति चालक विपक्षी सं. २ उसे चला रहा था। याची के विकलांग हो जाने के कारण अब याची भविष्य में स्वयं का एवं अपने परिवार का भरण पोषण करने एवं अन्य समस्त सुख सुविधाएँ देने में वंचित हो गयी है।

३. विपक्षी सं. १ श्रीमती राम कुमारी व विपक्षी सं. २ खूबचन्द्र क्रमशः प्रश्नगत मारुति वैन सं. यू.पी. ९५सी ४७२८ के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से १६बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका में वर्णित कथित दुर्घटना के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि याचिया व अन्य उक्त मारुति वैन में परिचित व व्यवहारिक रूप में यात्रा कर रहे थे। विपक्षीगण के वाहन के सामने अचानक नील गाय आ गयी थी जिसके कारण असंतुलित होकर मारुति वैन पेड़ से टकरा गयी थी, जिससे याचिया को चोटें आईं थीं। विपक्षी सं. १ उक्त मारुति वेन की पंजीकृत स्वामिनी है तथा उक्त मारुति वैन विपक्षी सं. ३ इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कं. लि. से दुर्घटना के समय बीमित थी तथा विपक्षी सं. २ के पास एल.एम.वी. चलाने के लिये वैध एवं प्रभावी लाइसेंस था। याचिया को आई चोटों की क्षतिपूर्ति यदि याचिया पाने योग्य है तो उसकी जिम्मेंदारी बीमा कम्पनी विपक्षी सं. ३ की बनती है।

४. विपक्षी सं. ३ इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. बीमाकर्ता मारुति वैन सं. यू.पी. ९५ सी ४७२८ की ओर से २६बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि विपक्षी बीमा कम्पनी की जिम्मेंदारी बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तो एवं लिये गये प्रीमियम के अनुसार ही आयद होती है अन्यथा नहीं। कथित दुर्घटना के समय उक्त प्रश्नगत मोटर साईकिल के चालक विपक्षी सं. २ के पास वैध व प्रभावी चालक लाईसेंस नही था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तो के विरूद्ध अवैधानिक रूप से मोटर साईकिल चला रहा था तो ऐसी दशा में विपक्षी बीमा कम्पनी किसी भी क्षतिपूर्ति धनराशि अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रतिकर याचिका से स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत मारुति वैन का उपयोग व्यवसायिक रूप में हो रहा था और उससे सवारियाँ ढ़ोई जा रही थीं जबकि उक्त मारुति वैन का रजिस्ट्रेशन प्राईवेट वाहन के रूप में है व बीमा पॉलिसी भी प्राईवेट कार की है एवं

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.10 13:08:11 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

कार का टैक्सी परमिट भी नहीं है जो बीमा शर्तो का खुला उल्लंघन है इसलिए उन विपक्षी का क्षतिपूर्ति भुगतान का कोई दायित्व नहीं है।

५. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक ०९.०१.२०१८ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैं:-

१. क्या घटना दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि में याची एवं अन्य मारुति वैन नं. ९५ सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुए झाँसी जा रहे थे उक्त वैन को विपक्षी सं. २ काफी तेजी व लापरवाही से चला रहा था, जैसे ही उक्त वाहन भड़रा व खिलारा, जो झाँसी खजुराहो मुख्य मार्ग पर स्थित है, के मध्य था तभी सामने से आल्टो कार आयी, तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण मारुति वैन चालक वाहन पर नियंत्रण नही रख सका जिससे मारुति वैन लहराकर एक पेड़ से जा टकरायी, वाहन के पेड़ से टकराने के कारण याची व उसमें बैठी हुयी सवारियों को गम्भीर चोटें आयी तथा याची का नवजात शिशु भी उक्त दुर्घटना के कारण मृतक हो गया ?

२. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ? यदि हाँ तो उसके प्रभाव ?

३. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी के यहाँ विधिवत रूप से बीमित था ? यदि हाँ तो उसका प्रभाव ?

४. क्या याची कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

५. अन्य अनुतोष,

६. पक्षकारो की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:-

याची की ओर से

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

१. याची द्वारा फेहरिस्त ७सी१ के माध्यम से प्रपत्र संख्या ८सी१ लगायत १४सी१/२० दस्तावेज, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ व असल दवाओं के बिल/रसीदें, जाँच रिपोर्ट आदि शामिल हैं।

२. फेहरिस्त ३९सी१ के माध्यम से प्रपत्र संख्या ४०सी१/१ लगायत सी ४४सी१/२ दस्तावेज जिनमें याची के असल पर्चे, डिस्चार्ज कार्ड, पैथोलॉजी रिपोर्ट व असल दवाओं के बिल शामिल हैं।

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

पी.डब्लू.१ भूपत उपहत, पी.डब्लू.२ उपहत श्रीमती श्रीदेवी याची स्वयं

विपक्षीगण की ओर से

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

विपक्षी सं. १ व २ की ओर से फेहरिस्त १८ सी१ के माध्यम से प्रपत्र संख्या १९सी१ लगायत २१सी१ प्रपत्र दाखिल किये गये, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, डी.एल. की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ शामिल हैं।

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

७. मैंने उभय पक्ष की ओर उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

८. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>**

वाद बिन्दु सं. १ को साबित करने के लिये याची की ओर से ८सी१/१ लगायत ८सी१/२ प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि, ९सी१/१ लगायत ९सी१/२ आरोपपत्र की सत्यप्रतिलिपि, १०सी१/१ लगायत १०सी१/२ नक्शा नजरी की सत्यप्रतिलिपि, ४०सी१ श्रीमती श्रीदेवी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर झाँसी का असल वाह्य रोगी प्रपत्र, ४१सी१ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी का असल चिकित्सालय मुक्ति पत्र तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ भूपत चुटैल याची का ससुर व मौके का साक्षी, पी.डब्लू.२ चुटैल श्रीमती श्रीदेवी याची स्वयं, को परीक्षित कराया गया है।

९. प्रस्तुत प्रकरण में **८सी१/२ प्रथम सूचना रिपोर्ट** के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिया के ससुर भूपत सिंह जो कि घटना के समय मौके पर उपिस्थित थे तथा जिसे दुर्घटना में चोटें आना अभिकथित किया गया है, ने दिनाँक ०७.१०.२०१३ को न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर, झाँसी में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा १५६(३)जाब्ता फौजदारी दिया गया, जिसके आधार पर प्रस्तुत दुर्घटना दिनाँकित २४.०७.२०१३ की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक १०.०२.२०१४ को मारुति वैन नं. यू.पी. ९५सी ४७२८ के चालक खूबचन्द्र (विपक्षी सं. २) के विरूद्ध मु.अ.सं. ४८/२०१४ धारा- २७९, ३३९, ३३८, ३०४ए भा.द.सं. पंजीकृत की गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी भूपत सिंह द्वारा किये गये कथनों से याची की याचिका के कथनों की पुष्टि होती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य भी अंकित कराया गया है कि दिनाँक

१८.०८.२०१३ को जब प्रार्थी का लड़का रईस ग्वालियर अस्पताल से रिलीज हुआ तो प्रार्थी घटना की रिपोर्ट करने थाना मऊरानीपुर गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तब प्रार्थी ने घटना का प्रार्थनापत्र जरिए रजिस्टर्ड डाक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को भेजा लेकिन प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई तथा वादी ने प्रार्थनापत्र में रिपोर्ट दर्ज किये जाने व अन्वेषण का आदेश पारित करने की याचना की। तत्पश्चात वादी की उक्त रिपोर्ट पंजीकृत हुई है तथा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने का पर्याप्त कारण व स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिया गया है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/ SC/ 0133/ 2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -२० और २१] इस प्रकार याची द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जो बिलम्ब हुआ है उसका पर्याप्त कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में व साक्ष्य से परिलक्षित होता है।

१०. ९सी१/२ आरोपपत्र की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दुर्घटना के प्रकरण में विवेचक द्वारा बाद सम्पन्न करने विवेचना चालक खूबचन्द्र (विपक्षी सं.२) के विरूद्ध मु.अ.सं. ४८/२०१४ धारा २७९, ३३९, ३३८, ३०४ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में दाखिल **१०सी१/२ नक्शा नजरी** के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा जो नक्शा नजरी बनाया गया है उसमें दर्शित **A** स्थान पर प्रश्नगत मारुति वैन नं. यू.पी. ९५सी ४७२८ के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर खड़े बृक्ष में जोरदार टक्कर मार देना अंकित है, जो नक्शा नजरी निम्वत् है:-

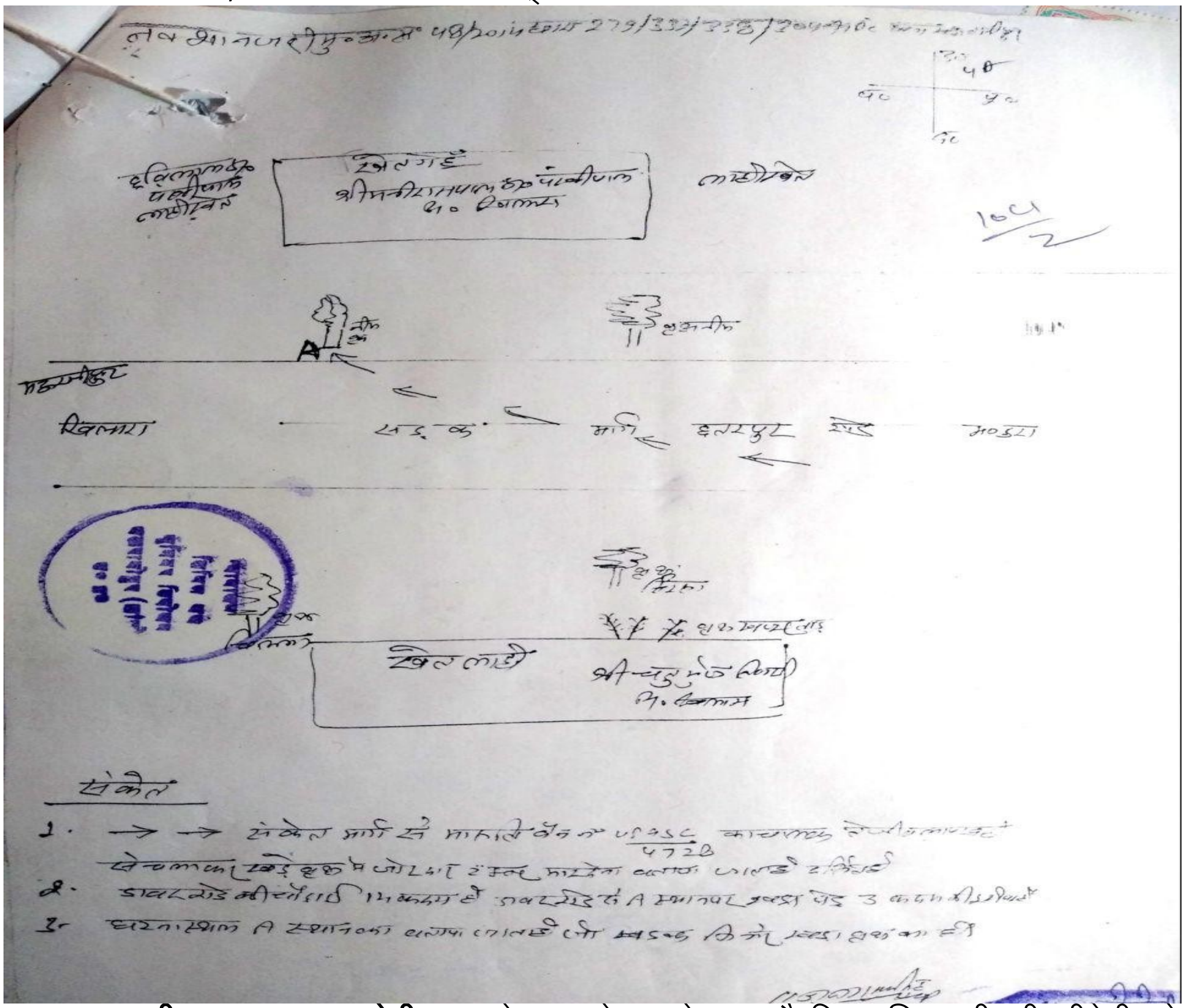

११. ४०सी१ असल बाह्य रोगी प्रपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिया श्रीमती श्रीदेवी को दिनाँक २४.०७.२०१३ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर, झाँसी पर इलाज हेतु ले जाया गया जिसमें आर.टी.ए. इंजरी का उल्लेख है। **४१सी१ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी का असल चिकित्सालय मुक्ति पत्र** से स्पष्ट होता है कि याचिया उक्त अस्पताल में २९.०७.२०१३ को इलाज हेतु भर्ती हुई तथा दिनाँक २.०८.२०१३ को उसे डिस्चार्ज किया गया।

१२. पी.डब्लू.१ के रूप में भूपत ने याचिका के कथनों का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है कि दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात की घटना है। वह मारुति वैन नं. यू.पी. ९५सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुये झाँसी जा रहा था। उस मारुति में राम कुमारी भी थी, उसे ड्राईवर खूबचन्द्र चला रहा था। जैसे ही रात के १०-११ बजे भड़रा खिलारा जो झाँसी

खजुराहो मार्ग पर है के बीच पहुँची तो सामने से एक आल्टो कार आती दिखई दी। गाड़ी को खूबचन्द्र तेजी व लापरवाही से चला रहा था। आल्टो कार को देखकर खूबचन्द्र घबरा गया, मारुति को वह काबू में नहीं रख पाया मारुति को काबू में न रखने के कारण ड्राईवर खूबचन्द्र ने गाड़ी को नीम के पेड़ में मार दी जिसके कारण मारुति में बैठी सवारी श्रीदेवी, भगवती, रहीस गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। उसे भी मामूली चोटें आई थीं। यह दुर्घटना खूब चन्द्र द्वारा मारुति तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई है। **पी.डब्लू. २ श्रीदेवी** जिसे उक्त दुर्घटना में स्वयं चोटें आई हैं, ने अपनी याचिका के कथनों का समर्थन किया है तथा उसने पी.डब्लू.१ की साक्ष्य के समान ही अपने बयान दिये हैं तथा दुर्घटना में चालक खूबचन्द्र (विपक्षी सं. २) द्वारा मारुति वैन नं. यू.पी. ९५सी ४७२८ को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण कार को काबू नही कर पाने व नीम के पेड़ में टक्कर मार देने का कथन किया है, जिससे उसे गम्भीर चोटें आई। उक्त साक्षीगण पी.डब्लू.१ व पी.डब्लू.२ से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है किन्तु उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे कि उनकी साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके।

१३. विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा यद्यपि याचीगण द्वारा कथित दुर्घटना सम्बन्धी कथनों को अस्वीकार किया गया है किन्तु विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है। जबकि विपक्षीगण सं. १ व २ प्रश्नगत मारुति वैन के मालिक व चालक ने अपने जवाबदावा में यह स्वीकार किया है कि उनका वाहन मारुति वैन नं. यू.पी. ९५ सी ४७२८ असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गयी थी, जिससे याचिया को चोटें आई थीं। **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02.2018-S.C): MANU/ SC/0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

१४. याचिका में याचिया ने प्रस्तुत दुर्घटना में उसके नवजात शिशु की मृत्यु होना भी अभिकथित किया है तथा वाद बिन्दु सं. १ में भी यह आया है कि तथा नवजात शिशु भी दुर्घटना के कारण मृतक हो गयी ? किन्तु नवजात मृतक शिशु के संबंध में न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और न ही याचिया ने कोई अनुतोष नही मांगा है। इस प्रकार याचिया की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि में याची एवं अन्य मारुति वैन नं. ९५ सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुए झाँसी जा रहे थे उक्त वैन को विपक्षी सं. २ काफी तेजी व लापरवाही से चला रहा था, जैसे ही उक्त वाहन भड़रा व खिलारा, जो झाँसी खजुराहो मुख्य मार्ग पर स्थित हैं, के मध्य था तभी सामने से आल्टो कार आयी, तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण मारुति वैन चालक वाहन पर नियंत्रण नही रख सका जिससे मारुति वैन लहराकर एक पेड़ से जा टकरायी, वाहन के पेड़ से टकराने के कारण याची व उसमें बैठी हुयी सवारियों को गम्भीर चोटें आयी। **तदनुसार वाद बिन्दु सं. १** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१५. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या २**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. २१सी१ प्रश्नगत मारुति वैन नं. ९५सी ४७२८ के चालक विपक्षी सं. २ खूब चन्द्र की चालन अनुज्ञप्ति की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक खूबचन्द्र दिनाँक २७.०१.२००३ से २६.०१.२०२३ तक एल.एम.वी. व मोटर साइकिल विद गियर चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक २४.०७.२०१३ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. २** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१६. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ३**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. २०सी१ बीमा पॉलिसी की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत मारुति वैन नं. ९५सी ४७२८ का बीमा दिनाँक ०५.१२.२०१२ से ०४.१२.२०१३ तक प्राईवेट कार के रूप में वैध व प्रभावी है। ₹ ३५ के प्रीमियम पर IMT 16 का इंडोर्समेंट है। बीमा कम्पनी की ओर से न तो ऐसा कोई साक्ष्य है कि याची उपहति के लिए त्रतीय पक्षकार के रूप मे आवरित नही है न ही उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई तर्क ही प्रस्तुत किया गया है। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मात्र यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत मारुति वैन का उपयोग व्यवसायिक रूप में हो रहा था और उससे सवारियां ढ़ोईं जा रही थी जबकि उक्त मारुति

वैन का रजिस्ट्रेशन प्राईवेट वाहन के रूप में है व बीमा पॉलिसी भी प्राईवेट कार की है एवं कार का टैक्सी परमिट भी नहीं है जो बीमा शर्तो का खुला उल्लंघन है इसलिए उन विपक्षी का क्षतिपूर्ति भुगतान का कोई दायित्व नहीं है। उक्त सम्बन्ध में **पी.डब्लू.१** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि यह कहना सही है कि मारुति किराये पर नहीं ली गयी थी बल्कि व्यवहार में ली गयी थी। यह कहना गलत है कि कथित वाहन में पैसा देकर यात्रा कर रही हो और वाहन स्वामी से मिलकर बीमा कम्पनी से पैसा लेने के लिये झूंठा बयान दे रही हो। **पी.डब्लू.२** ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सम्बन्ध में यह साक्ष्य दिया है कि यह बात सही है कि वह व अन्य लोग इस मारुति में परिचित व व्यवहार में यात्रा कर रहे थे। विपक्षी सं. १ व २ प्रश्नगत मारुति वैन के क्रमशः पंजीकृत स्वामी व चालक ने अपने जवाबदावा में यह कथन किया है कि याचिया व अन्य उक्त मारुति वैन में व्यवहार व परिचित के रूप में यात्रा कर रहे थे। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता अपने उक्त कथनों एवं तर्को के उत्तर में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सके। इस प्रकार बीमा कम्पनी के उपरोक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और यह साबित नहीं होता है कि याचिया उक्त प्रश्नगत मारुति वैन में बतौर किराया यात्री यात्रा कर रही हो। घटना दिनाँक २४.०७.२०१३ की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी विपक्षी सं. ३ के यहाँ विधिवत रूप से बीमित था। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. ३** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त याचिया की ओर से प्रश्नगत मारुति वैन के **पंजीयन प्रमाणपत्र** की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि १९सी१ भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र का खंडन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। तदनुसार **वाद बिन्दु सं. ३** सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१७. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ४ व ५</u>

वाद बिन्दु सं. ४ व ५ अनुतोष से संबंधित है। वाद बिन्दु सं. १ के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक २४.०७.२०१३ को समय १०-११ बजे रात्रि में याची एवं अन्य मारुति वैन नं. ९५सी ४७२८ से महोबा से छतरपुर होते हुए झाँसी जा रहे थे तो उक्त वैन को विपक्षी सं. २ काफी तेजी व लापरवाही से चला कर वाहन को एक पेड़ से टकरा दिया जिससे याची व बैठी हुयी सवारियों को गम्भीर चोटें आयी। इस प्रकार याचिया क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है। अब प्रश्न यह हैं कि याचिया श्रीदेवी किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने की अधिकारी है ? चूँकि वाद बिन्दु संख्या २ व ३ सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. ३ इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

१८. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

याचिया की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है उसे उक्त दुर्घटना में गम्भीर चोटें आई। चोटों के कारण उसे विकलांगता आई तथा उसके पैर में छड़ डाली गयी तथा उसका इलाज मेडिकल कॉलेज, झाँसी तथा प्राईवेट अस्पताल में हुआ। याची ने अपनी विकलांगता आने का कथन अपनी याचिका में तो किया गया है किन्तु उसने पी.डब्लू.१ के रूप में अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य दी है कि उसके पास कोई विकलांगता प्रमाण नही है। उसके सिर में व कमर, पैर में चोट आई थी। उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी न ही कोई अंग भंग हुआ था। इस प्रकार प्रस्तुत याचिका में याचिया अपनी स्थायी/अस्थायी विकलांगता साबित नहीं कर सकी है और यह मामला स्थायी/अस्थायी विकलांगता का नहीं बनता है। **पी.डब्लू.१** के रूप में याचिया ने यह भी साक्ष्य दी है कि दिमागी चोटों से वह अभी भी पागलपन की स्थिति में रहती है। इस दुर्घटना में उसका हाल का पैदा हुआ बच्चा भी मर गया है। सबसे पहले उसके ससुर ने मऊरानीपुर अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज झाँसी रिफर किया गया, जहाँ भिन्न-भिन्न प्राईवेट अस्पतालों में इलाज कराया। इलाज कराने में व अन्य खर्चों में उसका काफी पैसा खर्च हुआ। वह भैंस पालन से दूध बेचकर ₹ ६,००० प्रतिमाह कमा लेती थी। यह कहना गलत है कि उसने फर्जी बिल बनवा कर क्लेम का पैसा लेने के लिये फर्जी बिल प्रस्तुत किये हो। याचिया की ओर से पत्रावली पर **४०सी१ असल बाह्य रोगी प्रपत्र** के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिया श्रीमती श्रीदेवी को दिनाँक २४.०७.२०१३ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर, झाँसी पर इलाज हेतु ले जाया गया। ४१सी१ महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी के असल चिकित्सालय मुक्ति पत्र से यह स्पष्ट है कि याचिया उक्त अस्पताल में २९.०७.२०१३ को उक्त अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती हुई तथा दिनाँक २.०८.२०१३ को उसे डिस्चार्ज किया गया। न्यायाधिकरण के समक्ष परीक्षा मे किए गए प्रश्नो पर उसने पागलपन का कोई उत्तर नही दिया है अतः उसका पागलपन साबित नहीं होता है। यचिया की ओर से अपने भैंस पालन से दूध बेचने से ₹ ६,००० मासिक आय होने के सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकार याचिया की मासिक आय का कोई निश्चित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। याचिया की ओर से पत्रावली पर फैहरिस्त ७सी१ से विभिन्न दवाओं के असल बिल/रसीदें दाखिल की गई हैं। जिन दवाईयों के बिलों /रसीदों में याची के नाम का उल्लेख है, और जो विश्वसनीय प्रतीत होते है, उन समस्त बिलों का **योग ₹ ५,८७३** होता है जिस धनराशि को याचिया प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रकरण के

समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वर्णित चोटों के मद में याचिया को हुए **मानसिक व शारीरिक कष्ट** के लिए ₹ **५,०००**, पुष्टाहार के लिये ₹ **५,०००** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। याचिया ने याचिका में कथन किया है कि वह दिनाँक २५.०७.२०१३ को मेडिकल कॉलेज झाँसी में भर्ती हुई तथा ३१सी१ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय मुक्ति पत्र में भर्ती का दिनाँक २९.०७.२०१३ तथा मुक्ति की तिथि ०२.०८.२०१३ अंकित है तथा माँ शेरा वाली हॉस्पिटल के पर्चे में भर्ती की तिथि २७.०७.२०१३ व डिस्चार्ज की तिथि २९.०७.२०१३ अंकित है। याचिया ने पी.डब्लू.१ के रूप में यह साक्ष्य दी है कि उसने मेडिकल कॉलेज व विभिन्न अस्पतालों में भर्ती रहकर इलाज कराया है। उक्त से स्पष्ट है कि विभिन्न अस्पतालों मे वह दिनाँक २५.०७.२०१३ से ०२.०८.२०१३ तक भर्ती रही है। याचिया उक्त अस्पतालों अपने इलाज हेतु लगभग ९ दिन भर्ती रही। याची ने अपनी मासिक आय ₹ ६,००० बतायी है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं है। अतः आज के परिवेश में याची का योगदान ₹ १६५ प्रतिदिन मानते हुये याचिया के लगभग ९ दिन तक अस्पतालों में भर्ती रहने के दौरान उसके द्वारा कार्य न कर पाने के कारण हुई हानि के मद में १६५×९= ₹ **१४८५,** सहायक की सेवाओं के लिए हुए खर्च पर भी एक मुश्त ₹ **१४८५**, इलाज के लिये आवागमन पर हुये व्यय के मद में ₹ **५,०००** दिलाया जाना मैं न्यायोचित समझता हूँ ।

१९. इस प्रकार याचिया उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण उक्त मदों में कुल **५८७३+५०००+५०००+१४८५+१४८५+५०००= ₹ ~~१७९७०~~ [23843] (~~सत्तरह~~ [तेइस] हजार ~~नौ~~ [आठ] सौ ~~सत्तर~~ [तेतालीस])** क्षतिपूर्ति के रूप में पाने की अधिकारी है तथा इस धनराशि पर ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वास्तविक भुगतान के दिनाँक तक याचिया को दिलाया जाना उचित होगा। **वाद बिन्दु सं. ४ व ५** तदनुसार निस्तारित किये जाते हैं।

आदेश

याचिया की याचिका विपक्षी सं. १ व २ के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि **₹~~१७९७०~~ [23843] (~~सत्तरह~~ [तेइस] हजार ~~नौ~~ [आठ] सौ ~~सत्तर~~ [तेतालीस])** मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने के दिनाँक से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. ३ शाखा प्रबन्धक इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक (कैनरा बैंक) के खाता सं.९२३५२०१०००८५६० IFSC Code-SYNB०००९२३५ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से भुगतान करके कर दें। उक्त धनराशि जमा होने पर याचिया जरिये आर.टी. जी.एस./नेफ्ट नकद प्राप्त कर सकेगी ।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक ०९.१२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक ०९.१२.२०२० (चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण, झाँसी

Calculation mistake corrected
vide order dated 10.12.2020

PO
MACT, Jhansi
10.12.2020